

## एल्डरमैन

### प्रलिस के लयः

एल्डरमैन, [लेफ्टनैंट-गवरनर](#), [MCD](#), दल्लल नगर नगल अधनलयन-1957, संवधलन कल [अनुचछेद 239AA](#), करय संचलन नलयन 1961

### मेन्स के लयः

दल्लल में एल्डरमैन की नयुकुत कल मुददल

## चरचल में कयों?

सरवोच्च नयललय ने [उपरलज्यपलल](#) दवलरल एल्डरमैन की नयुकुत के खललल दल्लल सरकर दवलरल दलयर की गई यलककल पर वचलर करते हुए कहल कल उपरलज्यपलल कल सदसयों कल नलमतल करने कल अधकलर नरलवलकतल [दल्लल नगर नगल](#) कल असुथरल कर सकतल है ।

## एल्डरमैन:

### परचलय:

- व्युत्पन्न रूप से यह शब्द "एल्डर" और "मैन" के संयोजन से बना है जिसका अर्थ है वृद्ध व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति है ।
- यह शब्द मूल रूप से एक **कबीले या जनजात के बुजुर्गों के लिये** संदर्भित था, हालाँकि जल्द ही यह उम्र पर विचार किये बनारल कल **वलसराय के लयल एक शब्द** बन गयल । सलथ ही इसने नलगरकल और सैन्य दोनों करतवयों वलले एक अधकल वशलषलट शीरषक- **एक कलउंटी के मुख्य मजसलट्रेट**" कल नरूपतल कयल ।
- 12वीं सदी CE में जैसे-जैसे संघ नगरपललकल सरकरों के सलथ तीव्रतल से जुडते गए, इसशब्द कल **परयुग नगर नकलयों के अधकलरलयों के लयल** कयल जलने लगल । यही वह अर्थ है जसकल **आज तक परयुग कयल जलतल है** ।

### दल्लल के संदरभ में:

- [दल्लल नगर नगल अधनलयन, 1957](#) के अनुसार, 25 वर्ष से अधकल आयु के दस लुगों कल उपरलज्यपलल (LG) दवलरल नगल में नलमतल कयल जल सकतल है ।
- इन लुगों से नगरपललकल परशलसन में **वशलष ज्ञलन यल अनुभव की अपेकषल** की जलती है ।
- वे सारवजनकल महत्त्व के **नरलय लेने में सदन की सहायतल** करते हैं ।

## एल्डरमैन की नयुकुत से संबधतल चतलएँ

- पहली चतल नलमतल **व्यक्तलयों की उपयुकुततल** से संबधतल है । उपरलज्यपलल कल सफलरलशें सौंपे जलने के बलद यह पतल चलल कल **10 नलमलंकतल व्यक्तलयों में से दो कल तकनीकी रूप से पद के अनुपयुकुत मलनल गयल थल** । यह नलमलंकन परकरयल की संपूरणतल और पलरदरशलतल पर सवल उठलतल है कयोंकल ऐसे व्यक्तल जो इस भूमकल के लयल युग्य यल उपयुकुत नहीं हैं, उनहें नयुकुत नहीं कयल जलनल चललय ।
- दूसरी चतल इस धलरणल के इरद-गरलद घूमती है कल उपरलज्यपलल दवलरल एल्डरमैन की नयुकुत दल्लल नगर नगल (**Municipal Corporation of Delhi- MCD**) के भीतर चुनलव में परलजतल दल के **नरलयण और परभलव कल बनलए रखने** कल एक परयलस है । यह दल्लल नगर नगल के भीतर परतनलधलतलव के लुकतलंतरकल सदधलतों तथल शकतलयों की गतशीलतल की नषलपकषतल के संबध में चतल कल दरशलतल है ।

## सरवोच्च नयललय कल पकष:

- उपरलज्यपलल कल परतनलधलतलव करने वलले अतरकलकत **सॉलसलटर जनरल** ने तरक दयल कल **संवधलन के अनुचछेद 239AA** के तहत उपरलज्यपलल की शकतलयों और **रलषटरीय रलजधलनी के परशलसक** के रूप में उनकी भूमकल के बीच अंतर है । उनहोंने दलवल कयल कल कलनून के अधलर परएल्डरमैन के नलमलंकन में **उपरलज्यपलल की सकरयल भूमकल** है ।
- हललॉकल सरवोच्च नयललय ने कहल कल उपरलज्यपलल कल शकतल देकर यह लुकतलंतरकल रूप से **नरलवलकतल MCD कल संभलवतल रूप से असुथरल कर सकतल है कयोंकल उनके पलस मतदलन की शकतल हुुगल** ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपराज्यपाल के पास राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं, जो शासन के अद्वितीय "असममति संघीय मॉडल" के तहत संचालित होती हैं।
  - यह शब्द "असममति संघीय मॉडल" शासन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें एक संघ के भीतर विभिन्न क्षेत्रों या घटकों के पास स्वायत्तता एवं शक्तियों का अलग-अलग क्षेत्राधिकार होता है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239AA(3)(A) के तहत केवल तीन विशिष्ट क्षेत्रों में अपने वक्त से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है:
  - सार्वजनिक व्यवस्था
  - पुलिस
  - दिल्ली में भूमि
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रपरिषद से असहमत है, तो उसे लेन-देन के कार्य (Transaction of Business- ToB) नियम 1961 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
  - लेन-देन के कार्य (Transaction of Business- ToB) नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) का भाग है, जो सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य कार्य एवं ज़िम्मेदारियों के आवंटन के लिये एक रूपरेखा प्रदान करे हैं। ये नियम सरकारी नीतियों के निर्माण, नरिणयों और कार्यों, अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिये प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायक होते हैं।

## दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच क्या मतभेद है?

- प्रश्नभूमि:
  - अनुच्छेद 239 और 239AA के सह-अस्तित्व के कारण NCT की सरकार और केंद्र सरकार तथा उसके प्रतिनिधियों के रूप में उपराज्यपाल के मध्य एक न्यायिक संघर्ष की स्थिति रही है।
  - केंद्र सरकार का मानना है कि नई दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है एवं अनुच्छेद 239 उपराज्यपाल को यहाँ की मंत्रपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार देता है।
  - जबकि दिल्ली की राज्य सरकार का मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली में विधायी रूप से नरिवाचित सरकार होने का विशेष दर्जा देता है।
  - यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल और राज्य सरकार की प्रशासनिक शक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति को पैदा करता है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के तर्क:
  - केंद्र सरकार का मानना है कि क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिये नयुक्तियों एवं तबादलों सहित प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र का अधिकार होना चाहिए।
  - हालाँकि दिल्ली सरकार का तर्क है कि संघवाद की भावना में नरिवाचित प्रतिनिधियों के पास स्थानांतरण और नयुक्तिपर नरिणय लेने की शक्ति होनी चाहिए।
- कानूनी मुद्दे :
  - फरवरी 2019 में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के आवंटन पर नरिणय लेते समय यह मुद्दा सामने आया था।
  - उन्होंने प्रशासनिक सेवा नयित्रण के सवाल को बड़ी बेंच द्वारा तय किये जाने के लिये छोड़ दिया था।
    - केंद्र सरकार की याचिका पर मई 2022 में तीन जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था।
    - तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नरिणय लिया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर नयित्रण के प्रश्न को "पुनः समीक्षा" की आवश्यकता है।
  - दूसरे मुद्दे में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 शामिल है।
    - अधिनियम में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में उल्लिखित "सरकार" शब्द उपराज्यपाल को संदर्भित करेगा।

स्रोत: द हिंदू